



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013-आषाढ़ 28, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

Applicant's Advocate : Shri H. A. Patel

PUBLIC NOTICE

Before Shri B. N. Karia Sahib, Principal District Judge & M.A.C. Tribunal (Main),
Sabarkantha District, At - Himmatnagar, Gujarat State.

M.A.C. Petition No. 334 of 2001

Exh. No. 30.

Applicants : Sattarbhai Valibhai Memon
Religion -Muslim , Occupation : Transport & Business
Residing At & Ta. Vadali, District Sabarkantha.
Presently residing at Ahmedabad.

Versus

Opponents : (4) Vimal R. Bindra
Aged : Adult, Religion: Hindu,
Occupation : Transport,
Residing at :
21, Transport Nagar, Indore,
Madhya Pradesh.
(Owner of Trailor No. MP 9KA 9637)

Next Date : 29/07/2013.

The aforesaid Opponent No. 4 is hereby informed by this public notice that the above said applicant has filed this petition against you for getting compensation of Rs.1,00,000/—, (Rupees One Lac Only) U/s. 166 of M. V. Act, 1988.

Frequent attempts has been made to serve upon you by this court but all the notices returned unserved. Hence, you are hereby informed by this public notice to remain present in person before this Tribunal on

29th July, 2013 at 6:15 P.M. for filling your reply on the claim petition. You are also hereby informed to remain present on the date with all your written documents upon which you rely.

You are hereby given this notice that if you will not remain present on the above said date, the matter will be heard and decided in your absence.

You are hereby also given this notice that on the above said fixed date or before it, if you will fail to furnish your address, no attention will be given to your defence, which may please note.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this 29th day of June, 2013.

Notice:
drawn by : (B. K. Baswa)
Assistant.
Notice
Comp. by : (M. A. Aakhunji)
Superintendent.

By Order
P. G. Songara,
Dy. Registrar,
District Court,
S. K.@Himmatnagar.

(201-B.)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की अट्टावनवीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार दिनांक 31 जुलाई, 2013 को दोपहर 12.00 बजे मुम्बई-आगरा मार्ग, वित्त भवन, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा—

1. 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के सम्बन्ध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सांविधिक अंकेषकों की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 11 जुलाई, 2013 से 31 जुलाई, 2013 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट :—

- (क) अट्टावनवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 26 जुलाई, 2013 तक पहुंच जाना चाहिए.
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 23 जुलाई, 2013 तक पहुंच जाना चाहिए.
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.

08 जुलाई, 2013

संचालक मण्डल के आदेशानुसार

“वित्त भवन”

मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर 452 001.

(206-बी.)

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting of the Shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the corporation “Finance House”, Mumbai-Agra Road, Indore on Wednesday 31st July, 2013 at 12.00 Noon to transact the following business—

1. To Read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year

which ended on 31st March, 2013 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.

2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2013-14.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman, The Share Register of the Corporation will remain closed from 11th July to 31st July, 2013 (both days inclusive).

Notes—

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 58th Annual General Meeting should reach the office of the Corporation not later than four clear days *i. e.* 26th July, 2013.
- (b) Proxies should reach the office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting *i. e.* 23rd July, 2013.
- (c) Lists of Shareholders are available at the office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per copy, three weeks before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors,

08 July, 2013
"Finance House"
Mumbai-Agra Road,
INDORE-452 001.

K. C. Gupta,
Managing Director.

(206 A-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पहले नाम संतोष कुमार मूलचंदानी था, अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर संतोष कुमार बटेजा पुत्र श्री मोहन लाल कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(संतोष कुमार मूलचंदानी)

नया नाम :

(संतोष कुमार बटेजा)

निवासी—135 बी, न्यू सिंधी कॉलोनी,
भोपाल (म. प्र.).

(202-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, have to declare that change of my Son's Surname from Rajat Toriya (Old) to Rajat Chandel (Changed). Hence now on wards, He will be knows and called as Rajat Chandel.

(203-B.)

KALPANA CHANDEL,
45-A, Dhanwantri Nagar Ext.,
P. O. Rajendra Nagar, Indore.

CHANGE OF SURNAME

I, have to declare that change of my Daughter's Surname from Ku. Khushi Toriya (Old) to Ku. Khushi Chandel (Changed). Hence now on wards, She will be knows and called as Ku. Khushi Chandel.

(204-B.)

KALPANA CHANDEL,
45-A, Dhanwantri Nagar Ext.,
P. O. Rajendra Nagar, Indore.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम शब्बीर हुसैन (SHABBIR HUSSAIN) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम शब्बर हुसैन (SHABBAR HUSSAIN) हो गया है. अतः अब मुझे मेरे नाम शब्बर हुसैन (SHABBAR HUSSAIN) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(शब्बीर हुसैन)

(SHABBIR HUSSAIN)

(207-बी.)

नया नाम :

(शब्बर हुसैन)

(SHABBAR HUSSAIN)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपनी अवयस्क पुत्री शैली गोयल (SHELLY GOYAL) का नाम परिवर्तित कर शैली अग्रवाल (SHAILY AGRAWAL) रख लिया है. अब उसे शैली अग्रवाल पिता मनोज अग्रवाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

(205-बी.)

1. मनोज अग्रवाल (पिता),

2. आरती अग्रवाल (माता),

पवन बिहार कॉलोनी, निम्बालकर की गोठ नं. 2,
कम्पू, लशकर, ग्वालियर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री नताशा का नाम नगर पालिक निगम, इन्दौर के जन्म प्रमाण-पत्र में त्रुटिवश "सना थौरानी पिता महेश थौरानी" लिखा गया है जबकि मेरी पुत्री का नाम "नताशा थौरानी पिता श्री महेश थौरानी" है. भविष्य में मेरी पुत्री "नताशा थौरानी पिता श्री महेश थौरानी" के नाम से जानी जावेगी.

(208-बी.)

महेश थौरानी (पिता),

डफोडील-403, शालीमार टाउनशिप,

ए. बी. रोड, इन्दौर.

उप-नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम पूर्व में श्वेता वालिया था जो कि बदलकर श्वेता अहलुवालिया हो गया है. अतः अब श्वेता अहलुवालिया के नाम से जाना जाए.

(212-बी.)

दिवेश वर्धन अहलुवालिया (पिता),

डी-481, डी सेक्टर,,

नेहरू नगर, भोपाल (म. प्र.).

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म प्रकाश एसोसिएट्स से अमित बराड तनय श्री विजय ए. बराड आयु वयस्क. पता—बंगला नं. 03, अशवराज बंगलो बी/एच देव विराट-1 बंगलौस थलतेज, अहमदाबाद, पिन कोड-380054 दिनांक 31 मार्च, 2013 से इस फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा आज दिनांक से उनसे किसी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं है.

(209-बी.)

जयप्रकाश सिंह,

पार्टनर,

प्रकाश एसोसिएट्स,

रेस्ट हाउस के पास, नागौद,

जिला सतना (म. प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स ओम स्टोन क्रेशर-संजय जैन, सी एल-34, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म. प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में 21-06-2013 को संशोधन कर नवीन साझेदार श्री रामनिवास शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीराम शर्मा, श्री अमरनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री छोटेलाल शर्मा, निवासी—ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, बलबंत नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर एवं श्री गंगा चौरसिया पुत्र श्री बृजमोहन चौरसिया, निवासी—जनकपुरी कॉलोनी, गोल पहाड़िया, ग्वालियर (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है। भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले सभी साझेदारों को स्वीकार हैं साथ ही फर्म के पते में भी परिवर्तन कर न्यू पता—609, मिलेनियम प्लाजा, यूनीवर्सिटी रोड, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) कर दिया गया है।

धर्मेन्द्र शर्मा,

मैसर्स ओम स्टोन क्रेशर,

609, मिलेनियम प्लाजा, यूनीवर्सिटी रोड,

ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.)

(210-बी.)

आम सूचना

मेसर्स यशवंत ट्रेडर्स ताला हाउस रीवा, जिला रीवा द्वारा सदस्य परिवर्तन यशवंत ट्रेडर्स (रजिस्ट्रेशन नम्बर 05/22/03/00049/08, वर्ष 2008-09) के हिस्सेदारों में शामिल श्रीमती अपर्णासिंह पत्नी श्री अभयसिंह, निवासी ताला हाउस रीवा, श्रीमती उर्मिला सिंह पत्नी श्री रवीन्द्र सिंह सिसौदिया, निवासी ताला हाउस रीवा ने स्वेच्छापूर्वक फर्म की हिस्सेदारी से बाहर होने का निर्णय लिया है। जिसके बाद इन हिस्सेदारों का फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा। उधर हिमांशुधर सिंह पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह ग्राम पोस्ट कुठिला, जिला रीवा, मध्यप्रदेश फर्म में नये हिस्सेदार के रूप में शामिल हुए हैं। यह दोनों निर्णय 01 मई, 2013 को लिया गया है।

हिमांशुधर सिंह,

पार्टनर,

यशवंत ट्रेडर्स, ताला हाउस, रीवा।

(211-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि नीना वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन 5, यशवंत कॉलोनी, इन्दौर (मध्यप्रदेश) जिसका फर्म पंजीयन क्रमांक आय एफ/II/2000-01, दिनांक 11 मई, 2000 है। इस फर्म में मास्टर तपन अग्रवाल अवयस्क साझेदार हैं। श्री तपन अग्रवाल दिनांक 26-01-2013 से वयस्क हो गया है। अतः दिनांक 26-01-2013 से उसे वयस्क साझेदार के रूप में फर्म में सम्मिलित किया जा चुका है।

विनोद कुमार अग्रवाल,

पार्टनर,

वास्ते नीना वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन।

(213-बी.)

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं****कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर**

इन्दौर, दिनांक 5 जुलाई, 2013

क्र./1732/री.ए.डी.एम./2013.—अति. पुलिस अधीक्षक, यातायात, इन्दौर द्वारा अपने प्रतिवेदन पत्र क्रमांक अपुअ/याता/इ/691/13, दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा इन्दौर शहर में ऑटो-रिक्शा स्टेण्ड हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुए मध्यप्रदेश मोटरयान नियम-1994 के नियम-203 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-117 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं, आकाश त्रिपाठी, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर शहर में संचालित हो रहे ऑटो-रिक्शा के विश्राम के लिये निम्नानुसार स्थल को उनके सम्मुख दर्शाई गई संख्या हेतु ऑटो-रिक्शा स्टेण्ड घोषित करता हूँ :-

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित ऑटो की संख्या
1.	साधना नगर टी	5

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित ऑटो की संख्या
2.	लोकनायक नगर	5
3.	वेयर हाउस बागड़दा रोड	5
4.	लक्ष्मीबाई नगर अनाज मण्डी गेट	5
5.	स्कीम नम्बर 51 पुलिस चौकी के पास	5
6.	गोविन्द कॉलोनी चौराहा	5
7.	स्वामी परमानन्द हास्पिटल पंचकुईया	5
8.	हुकुमचन्द कॉलोनी	5
9.	पशु चिकित्सालय फूटी कोठी रोड	5
10.	नाकोड़ा चौराहा स्कीम नं.-71	5
11.	शिव मंदिर गुमास्ता नगर	5
12.	शंकर किराना गुमास्ता नगर	5
13.	महावीर द्वार सुदामा नगर	5
14.	द्वारका पुरी रोड नं. 1	5
15.	द्वारकापुरी 60 फीट रोड	5
16.	द्वारकापुरी विल्सी की दुकान	5
17.	हवा बंगला	5
18.	हवा बंगला के पीछे बिदुर नगर	5
19.	केट गेट राजेन्द्र नगर रेल्वे क्रॉसिंग	5
20.	रेती मण्डी	5
21.	राजेन्द्र नगर पुलिस लाईन	5
22.	धनवन्तरी नगर तिराहा	5
23.	राजेन्द्र नगर रेल्वे क्रॉसिंग	5
24.	भीम नगर बस स्टेण्ड	5
25.	बिजलपुर चौराहा	5
26.	केशरबाग रोड शिव मन्दिर	5
27.	सुदामा नगर पुलिस चौकी	5
28.	दस्तूर गार्डन	5
29.	नूरानी नगर	5
30.	नगीन नगर	5
31.	साधू वासवानी नगर पार्क	5
32.	यूनिवर्सिटी गेट खण्डवा रोड	5
33.	संत श्री आशाराम बापू चौराहा	5
34.	राधा स्वामी आश्रम	5
35.	पिपलिया पाला गुरुद्वारा के पास	5
36.	गोम्मटगिरी तिराहा	5

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित ऑटो की संख्या
37.	गांधी नगर बोहरा कॉलोनी टर्न	5
38.	सुपर कॉरीडोर तिराहा	5
39.	सुपर कॉरीडोर बागड़दा चौराहा	5
40.	टिगरिया बादशाह चौराहा	5
41.	बागड़दा रोड सुविधि नगर तिराहा	5
42.	जवाहर टेकरी तिराहा	5
43.	गोपुर चौराहा	5
44.	रामबाग चौराहा बस स्टॉप के पास	5
45.	कलेक्टर गली जिला पंचायत के बीच में	5
46.	कलेक्टर कार्यालय के सामने	5
47.	मोती तबेला उर्दू स्कूल स्टैण्ड के पास	5
48.	हरसिद्धी मंदिर के पास	5
49.	गुलजार कॉलोनी, सैफीनगर	5
50.	प्रेम नगर माणिक बाग रोड	5
51.	रंजीत हनुमान मंदिर मनी सेंटर के सामने	5
52.	बैंक कॉलोनी चौराहा	5
53.	लोकमान्य नगर गेट नं. 2	5
54.	रघुवंशी कॉलोनी सम्भाजी स्कूल के पास	5
55.	तीन ईमली.	5
56.	मूसाखेड़ी रिंग रोड	5
57.	बंगाली चौराहा	5
58.	खजराना रिंग रोड	5
59.	बफार्नी धाम	5
60.	मालवीय पम्प	5
61.	बाम्बे अस्पताल	5
62.	विजय नगर चौराहा	5
63.	सयाजी चौराहा	5
64.	बापट चौराहा	5
65.	चन्द्रगुप्त चौराहा	5
66.	भोरसराय चौराहा	5
67.	अरविन्दों अस्पताल	5
68.	मरीमाता चौराहा	5
69.	पोलो ग्राउण्ड	5
70.	भण्डारी तिराहा	5
71.	मालवा मिल	5

क्र.	स्थान का नाम	निर्धारित ऑटो की संख्या
72.	पाटनीपुरा चौराहा	5
73.	परदेशीपुरा	5
74.	सुभाष नगर चौराहा	5
75.	विश्रान्ति चौराहा	5
76.	जंजीर वाला चौराहा	5
77.	एल.आई.जी. तिराहा	5
78.	पलासिया तिराहा (टी)	5
79.	साकेत चौराहा	5
80.	तिलक नगर चौराहा	5
81.	गीता भवन चौराहा	5
82.	गीता भवन मंदिर के पास	5
83.	व्हाईट चर्च	5
84.	जीपीओ चौराहा	5
85.	इंदिरा प्रतिमा	5
86.	फोरेस्ट टी	5
87.	बड़ी ग्वालटोली मंदिर	5
88.	नवरतन बाग टी	5
89.	सैफी चौराहा	5
90.	नगर निगम चौराहा	5
91.	पटेल प्रतिमा	5
92.	नेहरू प्रतिमा	5
93.	चिड़िया घर	5
94.	माया पम्प	5
95.	आजाद नगर	5
96.	स्कीम नं. 54 फुण्ड लैण्ड	5
97.	नाथ मंदिर	5
98.	अर्जुन व्याम	5
99.	पालदा नाका टी	5
100.	बाणगंगा पुराना नाका	5
101.	सुयश अस्पताल	5
102.	खजराना मंदिर उपर	5
103.	बंगाली चौराहा आगे कनाड़िया नाका	5
104.	घन्टाघर चौराहा	5

1. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णतः/ अंशतः यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वतः अमल में आवेगी.

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2013

क्र. जी.बी./दो (48)2013/2456.—गोपनीय कार्य हेतु इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में रजिस्टर्ड इच्छुक निविदाकारों से कम्प्यूटर स्टेशनरी कार्बन पेपर प्रति सहित मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु लेटर हैड पर प्रति हजार पेपर सहित मुद्रण दर एवं अन्य व्यय समस्त कर सहित सम्मिलित करते हुये दिनांक 06 अगस्त, 2013 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं। भाव पत्र के साथ निविदा निक्षेप राशि रुपये 1,000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में संलग्न कर उपयोग में लाये जाने वाले पेपर के नमूनों, निविदा हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर अंकित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. इस निविदा सूचना, तकनीकी विवरण एवं शर्तों को वेबसाइट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

3. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा उसी दिनांक 06 अगस्त, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/ उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

(362)

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2013

(लेखन एवं अन्य सामग्री)

क्र.जी.बी. चार/स्टे. (2) 2013-14/2438.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के उपयोग में आने वाले लेखन एवं अन्य सामग्री की क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से निविदा मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती है।

2. टेण्डर फॉर्म, निविदा के शर्तों एवं अनुबंध का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट www.tenders.gov.in एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है।

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 03 अगस्त, 2013 को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी। निविदा का टेक्निकल टेण्डर उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक 03 अगस्त, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी।

(363)

Bhopal, dated 12th July, 2013

(Stationery & other Articles)

No. GB-IV-Sty. (2) 2013-14/2438.—Sealed Tenders Technical & Commercial (separately) are invited for the supply of Stationery & other Articles which has to be used for the different departments of M. P. Government from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the tender Documents, terms of tender and the draft of the agreement are available at the website www.tenders.gov.in and www.govtpressmp.nic.in.

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on 03rd August, 2013 and the Envelope 'A' of technical tender will be opened on the same day i.e. 03rd August, 2013 at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

(363-A)

AJIT KESARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

ग्वालियर, दिनांक 27 जून, 2013

क्र./भण्डार/()/2013-14/2199.—शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर की साफ-सफाई का कार्य ठेके पर देने हेतु संबंधित अनुभवी ठेकेदारों/व्यवसायियों से बन्द लिफाफे में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2013 तक कार्यालयीन समय में निविदा पत्र का मूल्य रुपये 100.00 नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

3. निविदायें द्वि-लिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र क्रमांक 'क' में निविदा से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी एवं प्रमाण-पत्र एक लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे। निविदा प्रपत्र ख-1 कमर्शियल निविदा में सफाई कार्य की वार्षिक दर स्पष्ट भरी जावे। यह दोनों निविदा पत्र भी पृथक्-पृथक् लिफाफों में आवश्यक पूर्तियां की जाकर पृथक् रखे जावें तथा उक्त सभी लिफाफों को एक लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत किया जावे।

4. निविदायें दिनांक 30 जुलाई, 2013 के अपराह्न 2.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी एवं तकनीकी निविदा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जावेंगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के समक्ष कमर्शियल निविदा बाद में खोली जायेगी।

विलास मंथनवार,

उप-नियंत्रक,

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय,

ग्वालियर.

(364)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, झाबुआ

रा. प्र. क्र. 406/बी-113/2012-13.

झाबुआ, दिनांक 10 जून, 2013

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

क्र. 2043/रीडर/2013.—आवेदिका श्रीमती कल्पना भूरिया पति कांतिलाल भूरिया, निवासी झाबुआ द्वारा लाडकीदेवी भूरिया, पब्लिक वेरिटेबल ट्रस्ट, झाबुआ को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र धारा 4-5, मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. जिसकी सुनवाई 29 जून, 2013 को इस न्यायालय में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी।

3. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रुचि हो और प्रकरण में नियत दिनांक 29 जून, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि पश्चात प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|--------------------------|----|--|
| 1. नाम | .. | लाडकीदेवी भूरिया, पब्लिक वेरिटेबल ट्रस्ट. |
| 2. अचल सम्पत्ति का विवरण | .. | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति का विवरण | .. | रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये) बैंक ऑफ बड़ोदा में जमा हैं. |

सज्जय चतुर्वेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(357)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

मन्ना मिनिस्ट्रीज पता—8, अहिल्यापुरी कॉलोनी, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री एस. के. डेविड, मकान नं. 8, अहिल्यापुरी कॉलोनी, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	मन्ना मिनिस्ट्रीज.
पता	:	8, अहिल्यापुरी कॉलोनी, रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 4,000/- (अक्षरी रुपये चार हजार मात्र).

आज दिनांक 14 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(358)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

स्वामी विश्वामित्र मानव सेवा ट्रस्ट पता—141, सुखदेव नगर एक्सटेंशन नं. 2, एरोड्रम रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री पुरुषोत्तम मोटलानी एवं श्रीमती निवेदिता मोटलानी, पता—141, सुखदेव नगर एक्सटेंशन नं. 2, एरोड्रम रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	स्वामी विश्वामित्र मानव सेवा ट्रस्ट.
पता	:	141, सुखदेव नगर एक्सटेंशन नं. 2, एरोड्रम रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- नकद एवं रुपये 2,63,200 चैक द्वारा प्राप्त कुल राशि रुपये 2,74,200/- (अक्षरी रुपये दो लाख चौहत्तर हजार दो सौ मात्र).

आज दिनांक 14 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(358-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“मेवाड़ा राजपूत पंच न्यास” कार्यालय 19, छीपा बाखल, इन्दौर, की ओर से श्री लक्ष्मणसिंह पिता किशनसिंह राठौर, पता—4/1, तम्बोली बाखल, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“मेवाड़ा राजपूत पंच न्यास”.
पता	:	19, छीपा बाखल, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	एक मंदिर श्री रामदेव जी महाराज का म्यु. पा. मकान नं. 19, छीपा बाखल, इन्दौर पर स्थित अनुमानित कीमत रु. 57,46,250/- मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 14,244/- बैंक में जमा एवं रु. 737/- नकद (दि. 31-3-2012 के लेख अनुसार.)

आज दिनांक 17 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(358-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री भागीरथ रामविलास राठी पारमार्थिक न्यास, कार्यालय—82, कैलाश पार्क, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री रामविलास राठी, निवासी—82, कैलाश पार्क, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री भागीरथ रामविलास राठी पारमार्थिक न्यास.
पता	:	82, कैलाश पार्क, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,100/- (अक्षरी रुपये दो हजार एक सौ मात्र).

आज दिनांक 22 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(358-C)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री धरणीधर जैन श्वेताम्बर देवसुर तपागच्छ चारथुई मूर्तिपूजक ट्रस्ट कार्यालय—8, बजाजखाना चौक, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री पुण्डरिक पिता भेरूलाल पालरेचा, निवासी—43, अग्रसेन नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश, द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री धरणीधर जैन श्वेताम्बर देवसुर तपागच्छ चारथुई मूर्तिपूजक ट्रस्ट.
पता	:	8, बजाजखाना चौक, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 25 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(358-D)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री ज्ञानेश्वर पारमार्थिक न्यास, इन्दौर कार्यालय—98, करुणानयम्, स्कीम नं. 113, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पिता धुलजी सांखला, निवासी—22/3, मुराई मोहल्ला, इन्दौर एवं अन्य 6 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री ज्ञानेश्वर पारमार्थिक न्यास, इन्दौर.
पता	:	98, करुणानयम्, स्कीम नं. 113, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 25 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(358-E)

संशोधित (फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“हजरत सय्यद साहेब सुल्तान साहेबजी (दरबारे अली, दरबार शरीफ) ट्रस्ट कार्यालय—41/2, मोती तबेला, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री शब्बीर पिता एहमद हुसैन, निवासी—41/2, मोती तबेला, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“हजरत सय्यद साहेब सुल्तान साहेबजी (दरबारे अली, दरबार शरीफ) ट्रस्ट.
पता	:	41/2, मोती तबेला, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार मात्र).

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(361)


अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर वनमण्डल

अनूपपुर, दिनांक 28 जून, 2013

क्र./मा.चि./152.-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वन परिक्षेत्राधिकारी, अनूपपुर को R.D.F. कार्य हेतु मार्किंग हैमर प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्राधिकारी अनूपपुर ने पत्र क्र./121, दिनांक 25 जनवरी, 2012 एवं पृष्ठांकन क्रमांक 644, दिनांक 01 जून, 2012 से इस कार्यालय को सूचित किया है कि श्री अनिल कुमार गुप्ता, वन क्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक फुनगा द्वारा बार-बार लेख किए जाने के पश्चात् भी आज दिनांक तक उक्त हैमर परिक्षेत्र कार्यालय अनूपपुर में जमा नहीं किए हैं एवं फरवरी 2013 में सतना वनमण्डल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

अतः वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न दर्शित हैमर को स्टॉक रजिस्ट्रार के अभिलेख में से अपलेखित किया जाता है.



उक्त हैमर की कीमत रु. 480.00 (चार सौ अस्सी रुपये मात्र) श्री अनिल कुमार गुप्ता सेवानिवृत्त वनक्षेत्रपाल से एक मुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है.

उपरोक्त हैमर यदि किसी विज्ञप्ति को मिले तो वे तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाना या कार्यालय अनूपपुर वनमण्डल में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के बाद यदि कोई हैमर को गुम दिनांक से अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध दण्ड विधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

डी. एस. कनेश,
वनमण्डलाधिकारी.

(359)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 627, दिनांक 23 फरवरी, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 624, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेश वरकडे को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेश वरकडे, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

ऐसोसियेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 221, दिनांक 09 जुलाई, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 628, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए ऐसोसियेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुरेश वरकडे को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुरेश वरकडे, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

विधान नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी.आर.बी. 584, दिनांक 08 अगस्त, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 627, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए विधान नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खत्री, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

अमूल्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 737, दिनांक 17 अप्रैल, 1997 है, को परिसमापन में क्यों

न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 626, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए अमूल्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. के. खत्री, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत, परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सहकारिता विभाग अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी. आर. बी.-670, दिनांक 06 अक्टूबर, 1995 है, को, परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 620, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को, परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए सहकारिता विभाग अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. आर. जंगले को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. आर. जंगले परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सरिता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी. आर. बी. 574, दिनांक 21 मार्च, 1994 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 618, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए सरिता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजीव जैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-R)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

नव सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी. आर. बी. 249, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 622, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए नव सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पंकज श्रीवास्तव, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-S)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

मोनालिसा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 664, दिनांक 04 सितम्बर, 1995 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 617, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए मोनालिसा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर.के. निगम को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर.के. निगम, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-T)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

नवनीत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. 549, दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 625, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए नवनीत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अभय देशपांडे को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अभय देशपांडे, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-U)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

पिंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी. आर. बी. 519, दिनांक 04 अक्टूबर, 1988 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 619, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए पिंक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित

किया जाता है कि श्री सुधाकर पाण्डेय परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(340-V)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सृष्टि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. डी. आर. बी. 609, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 623, दिनांक 06 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए सृष्टि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पंकज श्रीवास्तव को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पंकज श्रीवास्तव, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(340-W)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दीपड़ी भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 197, दिनांक 10 नवम्बर, 1983 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 710, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दीपड़ी को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. के. श्रीवास्तव को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एम. के. श्रीवास्तव, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(340-X)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूनाहा भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 261, दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 711, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रूनाहा भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. एन. वर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एच. एन. वर्मा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(340-Y)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तूमड़ा भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 225, दिनांक 17 अक्टूबर, 1984 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 715, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तूमड़ा भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती संगीता मीना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मीना, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(340-Z)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतुआ रतनपुर, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 285, दिनांक 27 अक्टूबर, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 709, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतुआ रतनपुर, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विलीन खटावकर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विलीन खटावकर, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(341)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा नाथू, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 243, दिनांक 20 नवम्बर, 1985 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 714, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा नाथू, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुधाकर पाण्डेय, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(341-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिसरोद, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 198, दिनांक 10 नवम्बर, 1983 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 716, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर

जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिसरोद, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राकेश निगम को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राकेश निगम, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करें।

(341-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसोदा, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 260, दिनांक 23 अक्टूबर, 1986 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 713, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भैसोदा, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत कु. अलका तिग्गा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. अलका तिग्गा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करें।

(341-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

बत्रा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 736, दिनांक 03 सितम्बर, 1994 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 708, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए बत्रा महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती अखिलेश नैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती अखिलेश नैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करें।

(341-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

मंजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हिनोती भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 962, दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 707, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के

अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए मंजू महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हिनोती भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती सुविता सेमुअल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती सुविता सेमुअल, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

(341-E)

भोपाल, दिनांक 01 जून, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./1387.— भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरीकलां, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 798, दिनांक 27 फरवरी, 1998 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 706, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, सेमरीकलां, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती सुविता सेमुअल को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती सुविता सेमुअल, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

(341-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 912, दिनांक 19 अगस्त, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 705, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती संगीता मीना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मीना, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुत करें.

(341-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

राहुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दिल्लीद भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 906, दिनांक 26 मई, 2006 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 718, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए राहुल महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दिल्लीद, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मुकुन्द भैसारे को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री मुकुन्द भैसारे परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(341-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

उजाला ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए.आर.बी. 1065, दिनांक 08 जुलाई, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 719, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए उजाला ईंधन सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती ज्योत्सना जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना जैन, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(341-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, जमुसरखुर्द भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 982, दिनांक 16 जून, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 717, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए सोनम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, जमुसरखुर्द भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत कु. अलका तिग्गा को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि कु. अलका तिग्गा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(341-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोहाया, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 280, दिनांक 08 जुलाई, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 712, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सोहाया, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विलीन खटावकर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री विलीन खटावकर, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(341-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजीराबाद, भोपाल, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर. बी. 279, दिनांक 08 जुलाई, 1987 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 721, दिनांक 15 मार्च, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त प्रदत्त हैं, का उपयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजीराबाद, भोपाल को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुधाकर पाण्डेय, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करें।

(341-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2581, दिनांक 13 जुलाई, 2001 के द्वारा तिलहन संघ कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 582, दिनांक 21 अप्रैल, 1984 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4919, दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 के द्वारा आरक्षित वर्ग विद्युत कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 12 मार्च, 1996 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-N)

भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./890A.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4128, दिनांक 21 सितम्बर, 2004 के द्वारा आश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 460, दिनांक 03 सितम्बर, 1985 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राकेश निगम को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4917, दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 के द्वारा न्यू बसेरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 505, दिनांक 1986 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3210, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा माया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 774, दिनांक 06 जुलाई, 1998 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल अग्रवाल को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(341-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3219, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा परमानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 19 मार्च, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. शांडिल्य को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(341-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2584, दिनांक 07 जुलाई, 2004 के द्वारा भोपाल जिला शिक्षक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 184, दिनांक 16 अप्रैल, 1977 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. श्रीवास्तव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(341-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4854, दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 के द्वारा देविका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 10 सितम्बर, 1996 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राकेश निगम को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3217, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा हरिप्रिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 18 जनवरी, 2001 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. शांडिल्य को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2728, दिनांक 18 जुलाई, 2011 के द्वारा प्रतिनिधि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 086, दिनांक 06 मार्च, 1976 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. पी. पाटिल को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/2726, दिनांक 18 जुलाई, 2011 के द्वारा आरोग्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 142, दिनांक 09 मई, 1979 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. पी. पाटिल को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4051, दिनांक 20 अक्टूबर, 2001 के द्वारा उपकार महिला प्राथमिक सह. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 536, दिनांक 26 मई, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3218, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा सृजन कामना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 06 फरवरी, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. शांडिल्य को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/357, दिनांक 03 फरवरी, 2006 के द्वारा कल्याणी महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 595, दिनांक 29 जून, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. मनीषा चौरे को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(341-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/3216, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा यूनिटी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 872, दिनांक 12 जुलाई, 2001 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. शांडिल्य को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(342)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/4050, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 के द्वारा सुशीला महिला प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक 547, दिनांक 20 मई, 1994 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुधाकर पाण्डेय को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(342-A)

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2013-आषाढ़ 28, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील भिण्ड, मेहगांव, मिहोना (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), जतारा, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), पन्ना, शाहनगर (पन्ना), खुरई, सागर, रहली, देवरी, केसली, मालथोन (सागर), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिहनगर, जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदवनास (सीधी), लटेरी, कुरवाई (विदिशा), पाटन, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर), निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील शाहगढ़ (सागर), बुढार (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), सीहोरा (जबलपुर), बिछिया, नैनपुर, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील मण्डला (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील पुष्परजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला टीकमगढ़ में ओला वृष्टि से तहसील पृथ्वीपुर के 25 ग्रामों में फसलों को 12 प्रतिशत की क्षति व नीमच में ओलों का प्रभाव फसलों पर हुआ है. ईसवगोल को नुकसान हुआ है. उज्जैन, कटनी से शेष फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित बड़वानी हवा, आंधी, पानी एवं ओला से फसल गेहूँ को 15 से 25 प्रतिशत नुकसान, हरदा में ओला, हवा एवं पानी से फसलों को 10 से 20 प्रतिशत की क्षति, मण्डला में वर्षा, ओला, तूफान के आने से फसल में क्षति होना सम्भावित है.

5. **कटाई.**—जिला नीमच, झाबुआ में फसल गेहूँ व इन्दौर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद में गेहूँ, चना व डिण्डोरी में मसूर, मटर, अलसी, चना, गेहूँ व बैतूल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, गन्ना तथा टीकमगढ़, अनूपपुर, सिंगरौली, हरदा, कटनी, मण्डला, सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अलसी, तुअर, मटर, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रौन }	.. 1.0 .. 2.0 .. 1.0				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़ुद अधिक. मूँगफली, तिली, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	4.9				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, गन्ना सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
7. मकसूदनगढ़	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है. ओलावृष्टि से तहसील पृथ्वीपुर के 25 ग्रामों में फसलों को 12% की क्षति.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	7.0				
4. टीकमगढ़	1.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	15.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	5.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	12.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..				
4. सागर	1.0				
5. रेहली	3.4				
6. देवरी	11.2				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	13.0				
10. मालथोन	6.0				
11. शाहगढ़	20.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) ..		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्जुलिया	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	2.0		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, राई, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	2.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	1.0				
4. जैतपुर	4.0				
5. गोहपारू	2.0				
6. बुढ़ार	30.4				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	21.4		4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, चना अधिक. राहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	25.8		(2) ..		
3. कोतमा	26.1				
4. पुष्पराजगढ़	53.8				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बांधवगढ़	8.4		4. (1) गेहूँ, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	11.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	3.4		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. अलसी, सरसों कम. मसूर, मटर, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) . .		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ, रायडा अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. शामगढ़	..				
8. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है. ओलों का प्रभाव हुआ है. ईसवगोल को नुकसान हुआ है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. कटनी से शेष फसलें ओलावृष्टि से प्रभावित.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) . .		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) . .		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, टमाटर, मिर्च अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. भामरा				
*जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. राणापुर 4. कट्टीबाड़ा 5. सोण्डवा 6. उदयगढ़				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगोन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. हवा, आंधी, पानी एवं ओला से फसल गेहूँ को 15 से 25% नुकसान का अनुमान.	3. .. 4. (1) कपास गन्ना अधिक. गेहूँ. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. अंजड़	..				
9. वरला	..				
जिला पूर्ण-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम. तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	3.3				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	2.0				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. चना, गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गौरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई व रबी फसल गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी की कटाई कार्य चालू है एवं गन्ने की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. बैतूल	..				
5. मुलताई	..				
6. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई व ओले, हवा एवं पानी से फसलों को 10 से 20% की क्षति हुई है.	3. .. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	18.6				
2. पाटन	15.2				
3. जबलपुर	11.6				
4. मझौली	3.0				
4. कुण्डम	4.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	1.0	वर्षा/ओला तूफान के	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	17.5	आने से फसल क्षति होना	जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	20.8	संभावित है.	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	36.0				
5. घुघरी	25.1				
6. नारायणगंज	22.9				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मटर, मसूर, अलसी,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	32.0	चना एवं गेहूँ की कटाई का	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	10.2	कार्य चालू है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, सतना, अलीराजपुर, रायसेन, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(356)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.